कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), सीवान
जिला– सीवान

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान के स्थापना से अप्रैल 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 438 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह०–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14693 / 275

दिनांक– 27.11.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीवान

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र- I

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या:- 438/17-18

भाग-I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), सीवान**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), सीवान
3	लेखा की अवधि:	स्थापना से अप्रैल 17 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	23.05.17 से 31.05.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री रोशन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मो0 मोजम्मिल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री राकेश कुमार (IV), लेखापरीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री राकेश कुमार-II, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह स्थापना से माह अप्रैल 17 तक तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। जुलाई 2015, अक्टूवर 2016.मार्च 2017 के लेखाओं की विस्तृत जाँच की गई। सितंबर 2015, जनवरी 2016 और अप्रैल 2017 के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गई। इसी क्रम में उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों की भी जाँच की गई।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	लागू नहीं। जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान का पहला निरीक्षण प्रतिवेदन है।
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हाँ।

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सीवान द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

भाग-II

खण्ड-"क"

शून्य

भाग –II

खण्ड –"ख"

कंडिका –1 शहीद बाइपास रोड से मौलाना मजहरूल हक कालोनी गेट होते हुए बिलाल मस्जिद तक पी सी सी सडक निर्माण

योजना का नाम – शहीद बाइपास रोड से मौलाना मजहरूल हक कालोनी गेट होते हुए बिलाल मस्जिद तक पी सी सी सडक निर्माण
एकरारनामा संख्या एवं तिथि – 5F2/12-13, 10-04-13
कार्य प्रारंभ की तिथि –10.04.13
कार्य पूर्ण करने की तिथि – 09.08.13, चार माह

तकनीकी स्वीकृति –कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा दिनांक 01.11.12 को राशि रू 4365500
प्रशासनिक स्वीकृति –जिला पदाधिकारी सीवान द्वारा दिनांक 13.12.12 को रू 4365500
मापी पुस्तिका संख्या – 09

संवेदक का नाम – श्री मिथिलेश कुमार सिंह नई बस्ती महादेवा. जिला सीवान
एकरारनामा की राशि– 3533994 (अनुसूचित दर से 15% नीचे)
मापी की राशि– रू 3532055

(क) Additional Performance Guarantee की राशि नहीं लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता रू0 3.09 लाख

योजना संचिका एवं अन्य संलग्न दस्तावेज के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक को अनुसूचित दर से 15% नीचे के दर पर सडक निर्माण का कार्य रू 3533994 पर आवंटित किया गया ।

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग (पत्रांक 3376(E) दिनांक 17.08.10) का सड़कों के निर्माण के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निविदा अनुसूचित दर से नीचे (Serious unbalanced) हो उसमें निर्धारित दर से एकरारनामा के समय संवेदक से Additional Performance Guarantee के रूप में राशि ली जानी चाहिए थी। इस बात की चर्चा इस संविदा के N.I.T. में भी किया गया था।
गणना के हिसाब से एकरारनामा की राशि रू 3533994 का 8.75% अर्थात राशि रू0 309224/– Additional Performance Guarantee के रूप में ली जानी चाहिए था। जिला शहरी विकास अभिकरण सीवान कार्यालय द्वारा एकरारनामा के समय संवेदक से Additional Performance Guarantee के रूप में राशि रू 309224 नहीं लेकर एकरारनामा किया गया। इस तरह संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया गया।
जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

(ख) मिटटी कार्य पर रायल्टी की कम कटौती (रू 0.047 लाख)

मापी पुस्तिका पृष्ठ 25 पर 56.33 धनमीटर मिटटी की मात्रा पर रायल्टी के रूप में राशि रू 1239 (56.33×22 प्रति घनमीटर की दर से) की गई थी । मिटटी के कार्य वास्तविक रूप में 268.57 घनमीटर (मापी पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 27 के आइटम न0 1) किया गया। गणना के हिसाब से रायल्टी के रूप में राशि रू 5909 (268.57 ×22 प्रति घनमीटर की दर से) की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रायल्टी के रूप में राशि रू 4670 (5909– 1239) की कम कटौती करके सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचायी गई साथ ही साथ संवेदक को कार्य में अधिक भुगतान भी किया गया।
जवाब में बताया गया कि गणना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) एकरारित राशि से अधिक कार्य करवाकर अनियमित व्यय –(रू 0.93 लाख)

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग मंत्रीमंडल (निगरानी विभाग) पटना के पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.83 की कंडिका संख्या 6(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्य के अभिन्न अंग होने के कारण कार्य के आइटम वाइज मात्रा में कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता द्वारा क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, एवं 25 प्रतिशत

की बढोत्तरी कार्य की मात्रा में कर सकते हैं इससे ज्यादा मात्रा की बढोत्तरी होने पर मंत्रीमंडल से स्वीकृति लिया जाएगा। कार्य के अभिन्न अंग नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत से ज्यादा कार्य की बढोत्तरी संभव नहीं है।
मापी पुस्तिका, डीपीआर तथा एकरारनामा से संबंधित कागजात की जांच में पाया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। विवरणी इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	कार्य का नाम	बीओक्यू के अनुसार कार्य की मात्रा जिसे करना था	मापी पुस्त के अनुसार कार्य की मात्रा जिसे किया गया	तय मानक से अधिक कार्य की मात्रा	बढोत्तरी का प्रतिशत	दर	अनियमित भुगतान	मापी पुस्त संख्या एंव आइटम नंबर
1	Construction of Subgrade earthern shoulder	195.39m3	268.57m3	73.18m3	37.45%	@207/m3	15148.26	p/27,IN/1
2	100A Brick Edge Soling	496.22m2	765.76m2	269.34m2	54.26%	@272.20/m2	73314.35	p/28,IN/4
3	Earth Work in excavation	50.05m3	56.33m3	6.28m3	12.55%	@160.60/m3	1008.57	p/28,IN/5
4	RCC of Desk Slab edge	35.13m2	44.75m2	9.62m2	27.38%	@346.20/m2	3330.44	p/30,IN/12
							92801.62	

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कार्य की मात्रा में वृद्धि का प्रतिशत 12 से लेकर 54 प्रतिशत तक है जो कार्यपालक की सीमा से बाहर है।

जवाब में बताया गया कि स्थल के अनुरूप क्षेत्र में कार्य कराया गया है।

जवाब संतोषजनक नहीं है अतः इस अनियमित व्यय रू 92802 की घटनोत्तर स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी/ विभाग से ली जाय एवं कार्यालय महालेखाकार को इससे अवगत कराया जाय।

(घ) सामग्री की धुलाई में अनियमित व्यय रु १३.७६ लाख

बिहार लघु खनिज समुदन नियमावली १९७२ के नियम ४० (१०) के अनुसार संवेदक को एकरारनामा में तय स्थल से ही सामग्री का उठाव करना है. इसके पहचान के लिए संवेदक द्वारा प्रपत्र ऍम एवं एन तथा चालान की प्रति सम्बंधित कार्यालय में समर्पित करेंगे. डूडा कार्यालय द्वारा सम्बंधित जिला के खनन पदाधिकारी से एम एवं अन तथा चालन का सत्यापन करवाया जाता उसके बाद ही स्म्वेदक को भुगतान किया जाता. सिवान कर्वालय दवार संवेदक से बगैर एम एवं ऍन प्रपत्र प्राप्त किये ही भुगतान किया जाता रहा. जिससे लघु खनिज की अवैध ढुलाई की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता.
विवरणी इस प्रकार हैं.

क्रमांक	मात्रा घन मीटर में	सामग्री का नाम	ढुलाई दर प्रति घन मीटर में	किया गया भुगतान	मापी पुस्त पृष्ट संख्या
१	215.39	सोन बालू	894.49	192664	23
२	415.79	स्टोन चिप्स	1903	791248	23
३	440.69	जी एस बी	1367.40	602599	24
४	215.39	सोन बालू की दर में अंतर	148.80	32050	24
			योग	1618561	
			15 % घटाव	242784	
			कुल योग	1375777	

उपर्युक्त तथ्यों से स्पस्ट होता है की संवेदक से बगैर प्रपत्र एम तथा ऍन एवं चालन की प्रति प्राप्त किये कुल रु 1375777 का अनियमित भुगतान किया गया.

जवाब में बताया गया की भविष्य में इसका धयान रखा जायेगा.

(ड़) सुरक्षित जमा राशि की समय पूर्व वापसी कर संवेदक को अदेय सहायता रु 1.77 लाख

NIT में दर्ज special condition of contract एक शर्त यह भी था की सुरक्षित जमा राशी की वापसी **defect liability period** के बाद की जाएगी. इस योजना के लिए डी एल पि 3 वर्ष निर्धारित की गई थी. इस वीच में योजना कार्य में किसी प्रकार की त्रुटी आने पर उसका निवारण संवेदक अपने स्तर से करेगा जिसके लिए कर्यलाय द्वारा उसे किसी प्रकार का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नगर विकास एवं आवास विभाग (पत्रांक 3506 दिनांक 25.08.09) बिहार सरकार भी अलग से निर्देश निर्गत किया गया था.

डूडा कार्यालय द्वारा इस आदेश की अवहेलना करते हुए कार्य समाप्ति के बाद सुरक्षित जमा राशि की अनियमित रूप से वापसी कर की गई. विवरणी इस प्रकार हैं:-

मापी पुस्त पृष्ट संख्या	अभिश्रव संख्या/तिथि	राशि	सुरक्षित जमा की वापसी की तिथि
33	**2/18.06.13**	**35022**	03.03.15
	7/15.07.13	**69234**	
	02/03.02.14	**72443**	
	total	**176669**	

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 03.02.14 थी. कार्य समाप्ति के तीन साल बाद यानि 02.02.17 को राशि वापस की जानी चाहिए थी. जबकि उसे दो वर्ष पूर्व ही अनियमित रूप से वापस कर संवेदक को राशि रु 176669/- का अदेय सहायता पहुँचाया गया.

जवाब में बताया गया की भविष्य में इसका धयान रखा जायेगा.

कंडिका – 2 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण काफी विलम्ब से एवं राशि रू 312.30 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण नहीं

बिहार वित्तीय नियमावली खंड 1 के नियम 342 के अनुसार अनुदान अथवा सहाय्य अनुदान के रूप में प्राप्त राशि को उसके स्वीकृत्यादेश की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर राशि का व्यय करके उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को भेजा जाना चाहिए ।

जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान के उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित संचिका एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 2015–16 के बीच के जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान को सहाय्य अनुदान के रूप में ₹ 2189.88 लाख का आवंटन नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना से प्राप्त हुआ।

मई 17 तक ₹ 1877.59 लाख का व्यय करके उपयोगिता प्रमाण पत्र 1 वर्ष से लेकर 6 1/2 वर्ष से विलंब से भेजा गया। मई 2017 तक ₹ 312.29 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण महालेखाकार कार्यालय को नही किया गया था । विभाग द्वारा समीक्षात्मक बैठक में इस बात की चर्चा बराबर की जाती रही है। विभाग द्वारा प्रत्येक आवंटन में इस बात का उल्लेख रहता है कि राशि का ससमय व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजा जाय।

उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलंब से प्रेषण एवं राशि रू 312.29 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारणो से अवगत कराने को कहा गया।

जवाब में बताया गया कि शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा। समय से भेजने में भविष्य में विलम्ब नहीं किया जायेगा।